

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
**दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत**

1. जिला पंचकूला                    थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2013                    प्र0सु0रि0स0 02  
दिनांक 03.04.2013
2. धारा 7, पी0सी0 एक्ट 1988
3. (क) अपराध की घटना : 03.04.2013  
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 03.04.2013 समय 07:40 पी0एम0.  
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 09
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थल: (क) थाने से दिशा एवं दूरी करीब 15 कि0मी0 पूर्व पिन्जौर, जिला पंचकूला
6. विकायतकर्ता/सूचनादाता  
नाम पपू  
पिता का नाम श्री मुन्ही  
राष्ट्रीयता भारतीय  
व्यवसाय मजदूरी  
पता मकान न0 2346 / बी—2, वार्ड न0 14, सैणी मौहल्ला, पिन्जौर, जिला पंचकूला।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण  
ए.एस.आई धूम सिंह, थाना पिन्जौर, जिला पंचकूला
- लिंग पुरुष  
भाशा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :— सेवा मे श्रीमान एस.एच.ओ. साहब जी, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला सैक्टर-17, पंचकुला, श्री मान जी, निवेदन है, कि मै पप्पू सपुत्र श्री मुन्धी, जाति मुस्लिम मेरी उम्र 28 वर्ष गांव हन्नूखेड़ा, पोस्ट सिमरई, तहसील भोगांव, थाना बिषवा, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हूं मै करीब 2 वर्ष से सुरजीत सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह, मकान न0 2346/बी-2 सैणी मौहल्ला, वार्ड न0 14, पिन्जौर जिला पंचकूला के मकान मे किराये पर रहता हूं और मै मनियारी का सामान फेरी लगाकर बेचता हूं दिनांक 2.4.13 को समय करीब 3/4 बजे मै पिन्जौर गार्डन मे घुमने के लिए गया था घूमते-2 पिन्जौर गार्डन के मेन गेट के पास मै दूकान पर गले मे डालने वाली पत्थर की चेन देख रहा था उसकी कीमत 45 रु0 थी । जैसे ही अचानक मै पीछे की तरफ मुड़ा तो उस समय दो औरतें जिनकी उम्र कम से कम 35/36 व 25/26 थी अचानक मेरी कोहनी हल्की सी एक औरत को लग गई जिस पर उन औरतों ने मुझसे हाथा पाई व गाली गलोच करना शुरू कर दिया । वहा पर मौजूद लोगो ने बीच बचाव किया तब मै वहा से घर चला गया । कुछ समय बाद मै धोबी के पास पड़ोस मे कपड़े लेने गया तो उन्ही औरतों मे से एक ने घर से डांग निकालकर मुझे मारना शुरू कर दिया फिर मौका पर लोंगो ने बीच बचाव किया तब मै घर वापिस आ गया । कुछ ही समय बाद ए.एस.आई धूम सिंह मेरे घर आया जिसने कहा कि तुम्हारे पांच आदमियों के खिलाफ श्रीमती प्रवीण ने दरखास्त दी है थाने चलो जिस पर ए.एस.आई धूम सिंह सानू पुत्र श्री मिषरी खान, गांव रिद्धपुरा थाना कूरावली जिला तहसील मैनपुरी व चांद मोहम्मद पुत्र अहमद अली वी.पी.ओ. सराये अगहत थाना नया गांव खूरसलिपं जिला ऐटा, उत्तर प्रदेश हाल पता मकान न0 2346/बी-2 सैणी मौहल्ला, वार्ड न0 14, पिन्जौर के करीब 7:30 पी.एम. पर पकड़कर ले गया रात्रि 11:30 बजे तक अपने कमरे मे बिठाये रखा जिसने कहा कि श्रीमती प्रवीन देवी के साथ तुम्हारा राजी नामा करवा दूंगा जिसके लिए तुमने 20,000रु0 रिष्वत देनी पड़ेगी जिस पर मैने कहा कि मै गरीब आदमी हूं मेरे पासे इतने पैसे नही है । तो उसने कहा कि मुझे पता नही है कि मुझे कही से भी सूबह 11:00 बजे तक मुझे हर हाल मे 10,000 रु0 रिष्वत की राषि दो । तभी ही थाने से बाहर ही प्रवीण देवी के साथ राजीनामा करवा दूंगा जो आज भी चार बार घर आ चुका है और जो 10,000रु0 रिष्वत की मांग कर रहा है । मै यह रिष्वत की राषि ए.एस.आई धूम सिंह को नही देना चाहता उसको रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं । कृप्या ए.एस.आई धूम सिंह, थाना पिन्जौर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायें । एस.डी:- पप्पू पुत्र श्री मुन्धी वासी मकान न0 2346/बी-2 सैणी मौहल्ला, वार्ड न0 14, पिन्जौर, जिला पंचकूला । कार्यवाही पुलिस:-आज मन निरीक्षक हाजिर थाना रा०चौ०ब्यूरों पंचकूला हूं पप्पू मुदई ने हाजिर थाना आकर एक दरखास्त बाबत मांगने रिष्वत 10,000रु0 विरुद्ध ए.एस.आई धूम सिंह, थाना पिन्जौर । जो मन निरीक्षक ने एस.आई सुरेष कुमार न0 191 एच.ए.पी, एच.सी.घ्यामलाल न0 289 पंचकूला, ई.एच.सी. संजय कुमार न0 1082 भिवानी, सिपाही वजीर न0 623 पलवल, ई.एच.सी राजकुमार न0 360 अम्बाला, के रेडिंग पार्टी तैयार की जो मजबून दरखास्त उपरोक्त सरेदस्त

सूरत जुर्म 7, पी.सी.एक्ट 1988 का सरजद होना पाया जाने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैष्ल रिपोर्ट बादस्त सिपाही रविन्द्र कुमार न0 1937 गुडगांव ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब पंचकुला तथा अन्य प्रतियां अफसरान बाला की सेवा में भेजी जा रही है। रेडिंग पार्टी मय मुदई मय तफतीषी बैग लेकर बासवारी गाड़ी सरकारी एच.आर. 03 एल 6883 के जिनका चालक एच.सी घ्यामलाल 289 पंचकुला के रवाना कार्यालय उपायुक्त पंचकुला का होता हूं उपायुक्त महोदय से अनुमति रेड लेकर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। हस्ताक्षर नि0 षमषेर सिहं 278 आर.आर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो सैक्टर-17, पंचकुला दिनांक 3.4.13 समय 7:40 पी.एम। अज थाना-उपरोक्त लेख पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके स्पैष्ल रिपोर्ट प्रथम सूचना की नकूलात सी.जी.एम/पंचकूला साहब बादस्त सिपाही रविन्द्र सिहं 1937 गुडगांव भेजी जा रही है व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर हवाले निरीक्षक षमषेर सिहं थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला की गई।

बादस्त सिपाही रविन्द्र सिहं 1937 गुडगांव

हस्ता /—

नि0 षमषेर सिहं 278, आर.आर